

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा (मध्यप्रदेश)

// विविध आदेश //

क्रमांक 108 /
/दो-15-3/90

रीवा, दिनांक 23/04/2025

श्री दिलीप माहोर नवम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ रीवा के न्यायालय में लंबित व्यवहारवाद प्रकरण क्रमांक-355ए/2019 रामकरण पाठक वि० देवेन्द्र पाठक वगै एवं श्री मुकेश कुमार कोरी अष्टम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा की न्यायालय में लंबित व्यवहारवाद प्रकरण क्रमांक-150ए/2019 दीनबन्धु पाठक वगै० वि० रामकरण पाठक वगै० एक दूसरे के पूरक प्रकरण होने के फलस्वरूप सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा-24 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री मुकेश कुमार कोरी अष्टम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा की न्यायालय में लंबित व्यवहारवाद प्रकरण क्रमांक-150ए/2019 दीनबन्धु पाठक वगै० वि० रामकरण पाठक वगै० को उनकी न्यायालय से वापस लिया जाकर विधि अनुसार निराकरण हेतु श्री दिलीप माहोर नवम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ रीवा की न्यायालय में अंतरित किया जाता है।

50/11
(राकेश मोहन प्रधान)

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रीवा (म०प्र०)

पृष्ठांकन क्र० 2012 /
/दो-15-3/90

रीवा, दिनांक 23/04/2025

प्रतिलिपि:-

1. अष्टम/नवम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा।
2. अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ रीवा।
3. प्रस्तुतकार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीवा (म०प्र०)।
4. जे०एस०ए०/डी०एस०ए० की ओर वेबसाइट में अपलोड किये जाने एवं संबंधित न्यायाधीशगण के ई-मेल में प्रेषित किये जाने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रीवा (म०प्र०)